

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011—चैत्र 11, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (17).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 2 के खण्ड (थ क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिये वेब पोर्टल www.mptax.net. और www.mptax.gov.in को विनिर्दिष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (17), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F A-3-15-2011-1-V (17).—In exercise of the powers conferred by clause (pa) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, specifies the web portals www.mptax.net and www.mptax.gov.in for the purpose of the said clause.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (18).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-ख की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित माल विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

1. वातानुकूलन (एअरकंडीशनिंग), वातानुकूलन संयंत्र या इकाई (एअर कंडीशनिंग प्लांट्स या यूनिट्स).
2. माड्यूलर किचन और माड्यूलर किचन के लिये अपेक्षित माल.
3. फर्नीचर, फिक्सर्स तथा उपकरण.
4. सुरक्षा उपकरण.
5. सभी प्रकार की क्रेन अर्थमूवर्स, जे.सी.बी., उत्खनक (एक्सकवेटर्स), रोड रोलर्स, कांक्रीट मिक्सिंग मशीन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (18), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F A-3-15-2011-1-V (18).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 9-B of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, specifies the following goods for the purpose of said sub-section, namely :—

1. Air conditioners, Air conditioning plants or units.
2. Modular kitchen and the goods required for a modular kitchen.
3. Furniture, fixtures and equipments.
4. Security devises.
5. All kind of cranes, earth movers, JCB, excavators, road rollers, concrete mixing machine.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (19).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए कर की दर के रूप में, ऐसे व्यापारियों की दशा में, जो उक्त धारा के अधीन कर के लिये दायी नहीं हैं शून्य प्रतिशत तथा ऐसे व्यापारियों की दशा में, जो उक्त धारा के अधीन कर के लिये दायी हैं चार प्रतिशत अधिसूचित करती है.

2. यह अधिसूचना 26 नवम्बर 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (19), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F A-3-15-2011-1-V (19).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, notifies zero percent, in case of dealers who are not liable to tax under said section and four percent, in case of dealers who are liable to tax under said section, as the rate of tax for the purpose of the said sub-section.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 26th November 2009.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (20).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 14 की उपधारा (1 ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त उपधारा के अधीन आगत कर रिबेट के प्रयोजन के लिये सोया डी-आईल्ड केक अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2011

क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-15-2011-1-पांच (20), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 1st April 2011

No. F A-3-15-2011-1-V (20).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of Section 14 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, notifies soya de-oiled cake for the purpose of input tax rebate under the said sub-section.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.